हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज राजस्व आवेदन संख्या 156/2017 अनवान रूपाराम बनाम आसूराम	नम्बर व तारीखअहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए

राज्य सरकार के निर्देशानुसार राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार–2018 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मुख्यालय पर न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से पक्षकारान अटल सेवा केन्द्र भुरटिया पर जरिये नोटिस तलब होकर दिनांक 07.06.2018 को अटल सेवा केन्द्र भुरटिया पर पत्रावली पेश हो।

सहायक कलक्टर,
(एसडीओ) बाड़मेर

आदेश

07.06.2018

यह पत्रावली बमुकाम अटल सेवा केन्द्र भुरटिया पर पेश हुई। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण अनुपस्थित। प्रार्थी ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के तहत आवेदन प्रस्तुत कर अवगत करवाया है कि प्रार्थीगण ने एक वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है, जो विचाराधीन है। प्रार्थी का कथन है कि ग्राम मातासर पटवार क्षैत्र भुरटिया में स्थित खेत खसरा संख्या 827 रकबा 183.10 बीघा भूमि पैतृक भूमि है तथा संयुक्त खातेदारी में अंकित है। अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी के काश्त व कब्जे में दखलन्दाजी कर रहे है व भूमि बेचान करने पर उतारू हैं। ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण के विरूद्ध निषेधाज्ञा जारी कर पाबन्द करवाये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण पंजीयन कर अप्रार्थी पक्ष को सुनवाई हेतु सम्मन जारी किये गये। अप्रार्थीगण ने आज दिन तक कोई जवाब प्रस्तुत नही किया है। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। उक्त भूमि अविभाजित है। संयुक्त खातेदारी की भूमि में प्रत्येक काश्तकार का सम्पूर्ण भूमि के प्रत्येक इंच पर समान रूप से कब्जा काश्त होता हैं। ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण के विरूद्ध निषेधाज्ञा जारी करने का कोई न्यायसंगत कारण प्रतीत नही होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने सम्बन्धी प्रार्थना पत्र विधि सम्मत एवं तर्क संगत नही होने से निरस्त किया जाता है। आदेश मजमे आम में सुनाया गया। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर,
(एसडीओ) बाड़मेर

कलक्टर (SDO) बाड़मेर

Scanned by CamScanner